राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88/2018/ दिनांक :

समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में राजकीय कोटे से आंवटित सेवारत कार्मिकों को कार्यमुक्त करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक : प.8 (6) चिस्वा./ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 एवं एफ 5(330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के अनुसार सेवारत विभागीय कर्मचारियों, जिनकी पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो गई है, को जीएनएम प्रशिक्षण हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज आधार (Horizental) पर दिया गया है।

इसी संदर्भ में समय–समय पर विज्ञप्ति जारी की जाकर सेवारत विभागीय कर्मचारियों जिनकी पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो चुकी है को आरक्षण का लाभ दिये जाने का उल्लेखत किया जाता है तथा इसी क्रम में आप द्वारा कार्मिको को पांच वर्ष की नियमित सेवा का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अतः राज्य सरकार के उल्लेखित पत्र दिनांक 14.10.1997 एवं 26.11.2002 के अनुसरण में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में विभागीय सेवारत कार्मिक के रूप में राजकीय कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए नियमानुसार कार्यमुक्त करने का श्रम करे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88/2018/ 1082 दिनांक : 11/4/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. संस्थापन अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संबंधितो को मेल करते हुए विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर